RNI No. MAHBIL /2009/31730
Reg. No. MCS/170/2016-18

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

असाधारण भाग सात

वर्ष ३ अंक ६(२)] सोमवार, मार्च ६, २०१७/फाल्गुन १५, शके १९३८ [पृष्ठे ४, किंमत : रुपये ४७.००

असाधारण क्रमांक ८

प्राधिकृत प्रकाशन

अध्यादेश, विधेयके व अधिनियम यांचा हिंदी अनुवाद (देवनागरी लिपी)

महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय

महाराष्ट्र विधानसभा में दिनांक ६ मार्च २०१७ ई. को. पुर:स्थापित निम्न विधेयक महाराष्ट्र विधानसभा नियम ११७ के अधीन प्रकाशन किया जाता है :—

L. A. BILL No. II OF 2017.

A BILL
FURTHER TO AMEND THE MUMBAI MUNICIPAL CORPORATION ACT AND THE MAHARASHTRA MUNICIPAL CORPORATIONS ACT.

विधानसभा का विधेयक क्रमांक २, सन् २०१७।

मुम्बई नगर निगम अधिनियम तथा महाराष्ट्र नगर निगम अधिनियम में अधिकतर संशोधन करने संबंधी विधेयक।

क्योंकि राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा था ;

और क्योंकि महाराष्ट्र के राज्यपाल का समाधान हो चुका था कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान थीं, जिनके कारण उन्हें, इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिये, मुंबई नगर निगम अधिनियम तथा महाराष्ट्र नगर निगम अधिनियम में अधिकतर संशोधन करने के लिये सद्य: कार्यवाही करना आवश्यक हुआ था; और, इसलिए, ८ जनवरी २०१७ को मुंबई नगर निगम तथा महाराष्ट्र नगर निगम (संशोधन) अध्यादेश, २०१७ प्रख्यापित हुआ था ;

सन् १८८८ का ३।
सन् १९४९ का ५९।
सन् २०१७ का महा. अध्या. क्र. ३।

और क्योंकि, उक्त अध्यादेश को राज्य विधानमंडल के अधिनियम में बदलना इष्टकर है ; इसलिए, भारत गणराज्य के अड़सठवे वर्ष में, एतद्द्वारा, निम्न अधिनियम अधिनियमित किया जाता हैं :–

अध्याय एक

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भण।

१. यह अधिनियम मुंबई नगर निगम तथा महाराष्ट्र नगर निगम (संशोधन) अधिनियम, २०१७ कहलाए।

२. यह ८ जनवरी २०१७ से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

अध्याय दो

मुंबई नगर निगम अधिनियम में संशोधन।

सन १८८८ का ३की धारा १५२क में संशोधन।

मुंबई नगर निगम अधिनियम की धारा १५२क की, उप-धारा (१) में,— " प्रत्येक वर्ष शास्ति का भुगतान करने का दायी होगा जो, ऐसे भवनों पर उद्ग्रहणीय संपत्ति कर के दुगने के समान होगी " शब्दों के स्थान में निम्न रखा जायेगा, अर्थात :— सन् १८८८ का ३।

" ऐसे भवनों पर निगम द्वारा विनिश्चित किये जाये ऐसे दर पर शास्ति का भुगतान करने के लिये दायी होगा" शब्द रखे जायेंगे।

अध्याय तीन

महाराष्ट्र नगर निगम अधिनियम में संशोधन।

सन १९४९ का ५९ की धारा २६७क में संशोधन।

३. महाराष्ट्र नगर निगम अधिनियम की धारा २६७क की उप-धारा (१) में, " प्रत्येक वर्ष शास्ति का भुगतान करने का दायी होगा जो, ऐसे भवनों पर उद्ग्रहणीय संपत्ति कर के दुगने के समान होगी " शब्दों के स्थान में निम्न रखा जायेगा, अर्थात् :— सन् १९४९ का ५९।

" ऐसे भवनो पर निगम द्वारा विनिश्चित किये जाये ऐसे दर पर शास्ति का भुगतान करने के लिये दायी होगा" शब्द रखे जायेंगे।

अध्याय चार

विविध

कठिनाई के निराकरण की शक्ति।

४. (१) इस अधिनिम द्वारा यथा संशोधित मुंबई नगर निगम अधिनियम, या, यथास्थिति, महाराष्ट्र नगर निगम अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में, यदि कोई कठिनाई उद्भूत होती है तो, राज्य सरकार, जैसा कि अवसर उद्भूत हो, **राजपत्र** में प्रकाशित आदेश द्वारा इस अधिनियम द्वारा यथा उपबंधित सुसंगत अधिनियम के उपबंधों से अनसंगत ऐसे निदेश दे सकेगी, जो उसे कठिनाई के निराकरण के प्रयोजन लिये आवश्यक या इष्टकर प्रतीत हो : सन् १८८८ का ३। सन् १९४९ का ५९।

परंतु, इस अधिनियम के प्रारम्भण के दिनांक से दो वर्षों की अवधि के अवसान के पश्चात, ऐसा कोई आदेश नहीं बनाया जायेगा।

(२) उप-धारा (१) के अधीन जारी किया गया प्रत्येक आदेश, यथासंभव शीघ्र, उसके जारी करने के पश्चात राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जायेगा।

सन् २०१७ का महा. अध्या. ३ का निरसन तथा व्यावृत्ति।

५. (१) मुंबई नगर निगम तथा महाराष्ट्र नगर निगम (संशोधन) अध्यादेश, २०१७, एतद्द्वारा, निरसित किया जाता हैं। सन् २०१७ का महा. अध्या. ३।

(२) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मुंबई नगर निगम अधिनियम और महाराष्ट्र नगर निगम अधिनियम के अधीन कृत कोई बात या की गई कोई कार्यवाही (जारी किसी अधिसूचना या आदेश समेत) इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित सुसंगत अधिनियमोंके तत्स्थानी उपबंधों के अधीन कृत की गई या यथास्थिति, जारी की गई समझी जायेगी। सन् १८८८ का ३। सन् १९४९ का ५९।

उद्देश्यों और कारणों का वक्तव्य

मुंबई नगर निगम अधिनियम (सन् १८८८ का ३) की धारा १५२क तथा महाराष्ट्र नगर निगम अधिनियम (सन् १९४९ का ५९) की धारा २६७क अनधिकृत भवनों पर शास्ति के उद्ग्रहण का उपबंध करती है।

उक्त धाराओं की उप-धारा (१) द्वारा यह उपबंध किया गया है कि, उन अधिनियमों के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन पूर्वअनुमति के बिना या अनुमति से संलग्न उपबंधों के उल्लंघन में उनकी भूमि पर या प्रादेशिक तथा नगर योजना से संबंधित विधि के अनुमोदन के बिना स्थल पर है या उसकी भूमि पर इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों या उप-विधियों के किसी उपबधों का उल्लंघन या उन अधिनियमों के अधीन दिए गए किसी निदेशन या मांग का उल्लंघन करता है या निगम से संबंधित या निगम द्वारा पट्टेपर दी गई भूमि पर या केंद्र या राज्य सरकार या ऐसे सरकार द्वारा बने हुए सांविधिक संगठन या कंपनी है तो उनकी भूमि पर भी किसी भवन या भवन के हिस्से का अवैध रूप से संनिर्माण या पुनर्निर्माण करता है तो इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के उपबंधों का उल्लंघन करता है तो वह जब तक ऐसा भवन शेष अनधिकृत है तब तक ऐसे भवन पर प्रत्येक वर्ष शास्ति का भुगतान करने का दायी होगा, जो ऐसे भवनों पर उद्ग्रहणीय संपत्ति कर के दुगने के समान होगी। उक्त धाराएँ आगे यह उपबंधित करती है कि, ऐसा उद्ग्रहण किसी कार्यवाही के पूर्वग्रह के बिना होगा जो ऐसे अवैध संरचना के लिए ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध लिया जा सकेगा। यह भी उपबंधित है कि, कर के उद्ग्रहण तथा संग्रहण और शास्ति ऐसे अवैध संरचना या पुनर्संरचना चाहे उसके अवैध अस्तित्व की अवधि के लिए, नियमितिकरण होने का अर्थ नहीं लगाया जायेगा।

उक्त धाराओं की उप-धारा (२), यह उपबंध करती है कि उप-धारा (१) के अधीन उपबंधित शास्ति अवधारित और संग्रहित की जायेगी मानों कि देय रकम संपत्ति कर की बकाया थी।

२. यह देखा गया है कि भवन के संनिर्माण के पश्चात्, फ्लॅटों और उसकी इकाईयों की अवैध विक्री के कुछ अनैतिक तत्त्वों के खरीददारों को जो फ्लॅटों की खरीद सच्चे विश्वास के अधीन करते है कि ऐसा संनिर्माण विधि के अधीन सम्यकतया प्राधिकृत है । चूँकि शास्ति की रक्कम वसूलनीय है मानों कि संपत्ति कर का बकाया है ऐसे खरीददारों की शास्ति का भुगतान करना आवश्यक है, न की उनकी वह गलती है।

३. इसलिए, यह उपबंध करने का प्रस्तावित है कि, संपत्ति कर की रकम के दो गुना शास्ति के उद्ग्रहण के बजाय, शास्ति की रकम ऐसे भवन जिसकी अधिकारिता के भीतर स्थित है, संबंधित निगम द्वारा विनिश्चित की जाये। इस शास्ति का उद्ग्रहण, ऐसे अवैध संरचना के संबंध में व्यक्ति के विरूद्ध कोई कार्यवाही करने से निगम को रोक नहीं सकता।

४. राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सत्र नही चल रहा था और महाराष्ट्र के राज्यपाल का यह समाधान हो चुका था कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान थी, जिनके कारण उन्हें उपर्युक्त प्रयोजनों के लिए मुंबई नगर निगम अधिनियम (सन् १८८८ का ३) तथा महाराष्ट्र नगर निगम अधिनियम (सन् १९४९ का ५९) में अधिकतर संशोधन करने के लिये सद्य कार्यवाही करना आवश्यक हुआ था। अतः ८ जनवरी २०१७ को, महाराष्ट्र के राज्यपाल द्वारा मुंबई नगर निगम तथा महाराष्ट्र नगर निगम (संशोधन) अध्यादेश, २०१७ (सन् २०१७ का महा. अध्या. क्र. ३) प्रख्यापित किया गया था।

५. प्रस्तुत विधेयक का आशय उक्त अध्यादेश को राज्य विधानमंडल के अधिनियम में बदलना है।

मुंबई,
दिनांक २३ फरवरी २०१७।

देवेंद्र फडणवीस,
मुख्यमंत्री।

प्रत्यायुक्त विधान संबंधी ज्ञापन।

प्रस्तुत विधेयक में, विधायी शक्ति के प्रयोजनार्थ निम्नलिखित प्रस्ताव अन्तर्ग्रस्त हैं, अर्थात् :—

खण्ड ४. इस खण्ड के अधीन, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मुंबई नगर निगम अधिनियम तथा महाराष्ट्र नगर निगम अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में, प्रारंभण के दिनांक से दो वर्षों की अवधि के भीतर, उद्‌भूत होनेवाली किसी कठीनाई के निराकरण के लिये, आदेश जारी करने की शक्ति, राज्य सरकार को प्रदान की गई हैं।

२. विधायी शक्ति के प्रत्यायोजन के लिये उपर्युक्त उल्लिखित प्रस्ताव सामान्य स्वरूप का है।

(यथार्थ अनुवाद)

डॉ. मंजूषा कुलकर्णी,
भाषा संचालक,
महाराष्ट्र राज्य।

विधान भवन,
मुंबई,
दिनांकित : ६ मार्च, २०१७ ।

डॉ. अनंत कळसे,
प्रधान सचिव,
महाराष्ट्र विधानसभा ।

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004, EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI.